संख्या-123/2015/1436/नौ-5-15-358बजट/2014-9

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, खैर(अलीगढ़), टाण्डा(रामपुर), आजमगढ़ (आजमगढ़) हसनपुर (अमरोहा) तथा नगीना (बिजनौर।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2015

विषयः-वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगरीय जल निकासी योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **'नगरीय जल निकासी योजना'** के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यो के अनुसार प्रदेश की 05 नागर स्थानीय निकायों में जल निकासी हेतु नालों के निर्माण के लिये वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल **₹ 524.41 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **₹ 263.00 (₹ दो करोड़ तिरसठ लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्रं0	जिले का नाम	नागर निकाय का नाम	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1.	अलीगढ़	नगर पालिका परिषद्, खैर	42.72	40.00	20.00
2.	रामपुर	नगर पालिका परिषद, टाण्डा	366.11	366.11	183.00
3.	आजमगढ़	नगर पालिका परिषद, आजमगढ़	28.30	28.30	15.00
4	अमरोहा	नगर पालिका परिषद, हसनपुर	33.57	30.00	15.00
5	बिजनौर	नगर पालिका परिषद, नगीना	63.76	60.00	30.00
		योग		**524.41**	**263.00**

(₹ दो करोड़ तिरसठ लाख मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के अतिरिक्त आगणन में प्रस्तावित धनराशि को सम्बन्धित निकाय द्वारा अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा।

(5) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से सम्बन्धित कराए जाने वाले कार्यो के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-3788/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 09.10.2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा 25.00 लाख तक तथा नगर पंचायतों द्वारा रू0 5.00 लाख तक के डेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधित कार्य सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

(6) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(7) कार्य की विशिष्टयों, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित नागर निकायों/कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी की होगी तथा कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण की जायेगी।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(9) प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(10) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को <u>दिनांक 30 जून, 2015</u> तक संबधित निकाय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामलें की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक ***"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** के नामें डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक ***"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-02-मलजल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0402-नगरीय जल निकासी कार्य-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"*** से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक: सूची एवं बीएम-9।</u>

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-123/2015/1436 (1)/नौ-5-15-358बजट/2014-9, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- सम्बन्धित अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-123/2015/1436/नौ-5-15-358बजट/2014-9 दिनांक 31 मार्च, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1.	अलीगढ़	नगर पालिका परिषद्, खैर	1. खैर नगर पालिका में गंज स्थित हरिजन बस्ती से नसीम खां के मकान तक आर0सी0सी0 नाला एवं पुलिया निर्माण का कार्य।	19.89		
			2. खैर नगर पालिका में श्रीराम विद्यालय से करबन नदी तक आर0सी0सी0 नाला एवं पुलिया निर्माण का कार्य।	22.83		
			योग	42.72	40.00	20.00
2.	रामपुर	नगर पालिका परिषद्, टाण्डा	1. वार्ड नं0-6 व 3 के मध्य मो0 नवाबपुरा दूलीवाला, मढ़ी मन्दिर के प्लाट से नन्हे राम शर्मा के प्लाट तक नाला निर्माण कार्य।	24.95		
			2. वार्ड नं0-8 व 9 के मध्य मो0 समनदीन व मोतीनगर में यूसुफ कुरैशी के प्लाट मटरू के प्लाट तक नाला निर्माण कार्य।	24.95		
			3. वार्ड नं0-8 मो0 समनदीन में मुशाहिद के बाग से अय्यूब के बाग तक नाला निर्माण कार्य।	24.95		
			4. वार्ड नं0-8 मो0 मसनदीन में ईदगाह के पीछे अ0 रहीम के प्लाट से मास्टर अशफाक के पापुलर के बाग तक नाला निर्माण कार्य।	24.95		
			5. वार्ड नं0-8 मो0 समनदीन ईदगाह के पीछे मियां शाकिर के प्लाट से बद्दल खलील के प्लाट तक नाला निर्माण कार्य।	24.95		
			6. वार्ड नं0-17 मो0 मरघटी में रामअवतार के प्लाट से माता मन्दिर तक नाला निर्माण कार्य।	24.95		
			7. तालाब से बिजली घर के पास स्वागत द्वार तक नाला निर्माण रामपुर रोड उ0दिशा।	24.93		
			8. हाजी रूसी के मिल के कोने से फसिया की पुलिया तक नाला निर्माण उ0दिशा।	24.93		
			9. छोटिया के सलाम के पीला तालाब से बिजल के सब स्टेशन तक नाला निर्माण कार्य रामपुर रोड दक्षिण दिशा।	24.93		
			10. रामपुर रोड स्वागत गेट से अमन राइस मिल के कोनें तक नाला निर्माण कार्य दक्षिण दिशा।	24.93		
			11. बहल्ला नदी से शान्ती ठेकेदार के मकान तक नाला निर्माण कार्य पश्चिम दिशा।	24.93		
			12. बहल्ला नदी से बादली के सुरेश रूहेला के मकान तक नाला निर्माण पूर्व दिशा।	24.93		
			13. एस0डी0एम0 आवास से अस्पताल के सामनें पुलिया तक नाला निर्माण पूर्व दिशा।	24.93		
			14. वार्ड नं0 3 मो0 नवाबपुरा हुकमी की दुकानों से स्टेट बैंक तक नाला निर्माण पूर्व दिशा।	24.93		
			15. वार्ड नं0 6 मोहल्ला दुलीवाला में माता मन्दिर से कब्रिस्तान की पुलिया तक नाला निर्माण।	16.97		
			योग	366.11	366.11	183.00

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या-123/2015/1436/नौ-5-15-358बजट/2014-9 दिनांक 31 मार्च, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणन में प्रस्तावित धनराशि	प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
3.	आजमगढ़	नगर पालिका परिषद्, आजमगढ़	1. मोहल्ला पहाड़पुर में एक मीनारा मस्जिद से कामरन के घर तक नाला एवं आरसीसी पटिया का कार्य।	11.47		
			2. मोहल्ला पहाड़पुर में वसीम टेलर के घर से अवध गेस्ट हाउस तक नाला मरम्मत एवं आरसीसी पटिया का कार्य।	2.26		
			3. मोहल्ला पहाड़पुर में वदूद खालिद के माकन से रफीक के घर तक नाला एवं आरसीसी पटिया का कार्य।	3.55		
			4. मोहल्ला पहाड़पुर में पुलिस चौकी निशवा स्कूल तक नाला एवं आरसीसी पटिया का कार्य।	11.02		
			योग	28.30	28.30	15.00
4.	अमरोहा	नगर पालिका परिषद्, हसनपुर	1. सम्भल बाई पास पर बुन्दू के बारात घर से एम0के0 दवाखाना के सामने तक नाला निर्माण कार्य।	17.42		
			2. वार्ड संख्या 03 में राजपाल की डक से कूडी वीरान के तालाब की ओर नाला निर्माण कार्य।	16.15		
			योग	33.57	30.00	15.00
5.	बिजनौर	नगर पालिका परिषद्, नगीना	1. वार्ड सं0 06 मौ0 कस्बा में काछियों के मकान से अन्सारी ब्रादरी के कब्रिस्तान तक नाले का निर्माण।	17.25		
			2. वार्ड सं0 06 मौ0 कस्बा में सैनी के मकान से महेन्द्र सैनी के मकान तक नाले का निर्माण।	17.22		
			3. वार्ड सं0 06 मौ0 खुर्रम अली सराय में अकबराबाद की पुलिया से रेलवे क्रासिंग की पुलिया तक नाले का निर्माण।	14.50		
			4. वार्ड सं0 06 मौ0 विश्नोई सराय में इमलियों वाले चौराहे से बुढा वाले की चुंगी तक नाले का निर्माण।	14.79		
				63.76	60.00	30.00
			महायोग (1+3)		524.41	263.00

(₹ दो करोड़ तिरसठ लाख मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

बी0एम0–9 (भाग–1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर–158 देखें)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम–37 नगर विकास विभाग पूँजी लेखा वित्तीय वर्ष: 2014–15 (धनराशि हजार ₹ में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
"2215–जलपूर्ति तथा सफाई–02–मलजल तथा सफाई–191–नगर निगमों को सहायता–04–उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय–0402–नगरीय जल निकासी कार्य–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	550000	298757	208745	208745	341255
योग	550000	298757	208745	208745	341255

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक(15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
"2215–जलपूर्ति तथा सफाई–02–मलजल तथा सफाई–192–नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता–04–उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय–0402–नगरीय जल निकासी कार्य–35–पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	600000	808745	208745	208745	808745
योग	600000	808745	208745	208745	808745

1. **स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–**
   नगर निगमों में आंशिक जल निकासी की व्यवस्था है, इसलिए बचत हो रही है।
2. **स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–**
   नगर पालिका परिषद् के लिये केवल रू0 6000.00 लाख की बजट व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष में की गयी है, जो अपर्याप्त है। नगर पालिका परिषद् क्षेत्रान्तर्गत जल निकासी कार्यो हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या:–660 /ई–8–969 /दस–2015,दिनांक 30 मार्च, 2015

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या– 2045/नौ–5–2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन लखनऊ।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6– सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, उत्तर प्रदेश।
7– वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–8/वित्त आय–व्ययक अनुभाग–1
8– गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-31/03/2015

प्रेषण संख्या:- 123-2015

आवंटन आदेश संख्या:- 001-123-2015-1436-9-5-15-358Budget-2014-9

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषद्ों को सहायता
04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय
02 - नगरीय जल निकासी कार्य

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	अलीगढ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	2000000	2000000
		प्रगामी	3701000	3701000
2	बिजनौर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	3000000	3000000
		प्रगामी	44490000	44490000
3	रामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	18300000	18300000
		प्रगामी	72800000	72800000
4	आजमगढ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	1500000	1500000
		प्रगामी	15000000	15000000
5	अमरोहा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान	1500000	1500000
		प्रगामी	6111000	6111000
	योग	वर्तमान	26300000	26300000
		प्रगामी	142102000	142102000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ तिरेसठ लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह करोड़ इक्कीस लाख दो हजार

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव